राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1542/2014/जोधपुर.

मैसर्स मोहित केमिकल्स,
खसरा नं0 165, भोपालगढ़, जोधपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–पंचम, वृत–बी, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी. एम. चौपड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/02/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 020/जेयूबी में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.07.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी के अपील आवेदन को दूषित (defective) मानते हुए उसे ग्रहण नहीं करते हुए खारिज किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2013 को पारित किया गया था जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय पारित किया गया था जिसमें कर रूपये 4,17,000/– ब्याज रूपये 1,43,951/– एवं विवरण प्रपत्र अप्रस्तुत होने से रूपये 25,000/– विलम्ब शुल्क भी आरोपित किया गया था। इस एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित कर राशि में से Admitted Tax जमा नहीं होने के आधार पर अपील आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अपील आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने अपील खारिज करने में पूर्णतया विधिक भूल की है क्योंकि अपीलार्थी का विवादित कर निर्धारण आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय पारित किया गया था एवं आदेश के प्रथम पृष्ठ पर ही यह स्पष्ट उल्लेख किया गया

लगातार.....2

है कि फर्म बंद है सूचना नहीं है एवं गत वर्ष के आधार पर बिक्री निर्धारित करते हुए उनकी कुल बिक्री रूपये 33,00,000/– जिसमें 5 प्रतिशत की 5 लाख एवं 14 प्रतिशत की 28 लाख की बिक्री एकपक्षीय मानी गयी थी। इस तरह कर योग्य विक्रय रूपये 33 लाख मानते हुए उस पर 4,17,000/– का कर आरोपित किया गया एवं उसी अनुसार अनुवर्ती ब्याज भी आरोपित किया गया तथा विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करना भी अंकित करते हुए रूपये 25,000/– विलम्ब शुल्क भी आरोपित किया गया है।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि एकपक्षीय आदेश की अपील की जाने से पूर्व कर राशि की 5 प्रतिशत राशि जमा किये जाने के प्रावधान अधिनियम की धारा 82 के तहत किये हुए हैं और उसकी पालना में अपीलार्थी की कुल कर राशि रूपये 4,17,000/– के विरूद्ध रूपये 45,000/– की राशि दिनांक 05.04.2014 को जमा करवा दी गयी थी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों के विपरीत आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन को खारिज किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त कर अपील ग्रहण करने के आदेश देने का अनुरोध किया।

5. विद्वान अभिभाषक ने यह भी अनुरोध किया कि पत्रावली का अवलोकन कर और वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर उनकी अपील को अपीलीय अधिकारी को पंजीकृत करने का निर्देश दिये जावे।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जो विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये थे उसके आधार पर Admitted Tax को जमा कराने के आदेश दिये गये हैं वे उचित होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाये।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा रेकॉर्ड नहीं भिजवाया गया है।

8. अपीलीय अधिकारी के समक्ष आदेश दिनांक 27.02.2013 को विवादित किया गया था इस विवादित आदेश दिनांक 27.02.2013 के अवलोकन से यह जाहिर है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है एवं बिक्री राशि स्वयं ने अनुमानित करते हुए निर्धारित की है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आदेश में अपीलार्थी द्वारा विवरण पत्र भी प्रस्तुत नहीं होना बताया है ऐसी स्थिति में यह आदेश एकपक्षीय होना एवं सर्वोत्तम ज्ञान से पारित किया जाना प्रमाणित है तथा इस आदेश में कोई admitted कर राशि का उल्लेख भी नहीं है। वेट अधिनियम की धारा 82 में अनिवार्य राशि

लगातार.....3

जमा कराने के जो प्रावधान हैं उसके अनुसार अपीलार्थी के एकपक्षीय (ex-parte) आदेश में आरोपित कर राशि की 5 प्रतिशत राशि ही जमा कराने का दायित्व था जो रूपये 20,850/– होता है जबकि अपीलार्थी ने 10 प्रतिशत से भी अधिक राशि पूर्णांक में रूपये 45,000/– जमा करवायी है। ऐसी स्थिति में अपील पूर्व आवश्यक जमा राशि में कोई कमी नहीं होने के बावजूद भी अपीलीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है एवं अपील को पंजीकृत नहीं किया है जो विधि एवं न्याय के विरूद्ध है।

9. फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश दिनांक 15.07.2014 निरस्त किया जाता है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं वे अपीलार्थी की अपील पंजीबद्ध कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करें।

10. निर्णय सुनाया गया।

2/2/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य